अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / अअवि / अनु / भोरे / डीजीपी / 51 / 24 / 286 /2025 दिनांक– 17/02/2025

प्रति,

पुलिस आयुक्त
जिला– भोपाल एवं इंदौर।

समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश।
समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश।

विषय– वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा बल प्रयोग एवं शस्त्र प्रयोग के संबंधी नियमों के संबध में।

संदर्भ– प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / वन अपराध / 2024 / 3885 भोपाल दिनांक–29 / 10 / 2024

––00––

उपरोक्त विषय में लेख है कि दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 197 के तहत वन अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान आग्नेय शस्त्र का उपयोग / चालन करते है तो ऐसे मामलो में वन रक्षको, वनपालों और उपवनक्षेत्रपालों के विरूद्व नामजद दर्ज कराई प्रथम सूचना प्रतिवेदन में पुलिस तब तक संज्ञान मे नही लेगी जब तक जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेशित दण्डाधिकारी जांच मे यह सिद्व नही हो जाता कि आग्नेय शस्त्र का उपयोग / चालन अनावश्यक अकारण अथवा आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने के लिये किया गया है। इस संबंध मे म.प्र. शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक / एफ–16 / 266 / लायसेंस / 96 / बी / (1) दो भोपाल दिनांक–11 / 06 / 96 एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना पृष्ठ क्रमांक / नि–3–93 / 2001 / 10–1 भोपाल दिनांक–28 / 05 / 2004 की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया तदानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अअवि पुमु भोपाल

प्रतिलिपि– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त जोन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
2. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्यप्रदेश।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अअवि पुमु भोपाल